झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं०–SUDA/AMRUT/BPAMS/DSC/153/2017.....6626 राँची, दिनांक 23/10/17

Ease of Doing Business Reform Agenda के अंतर्गत तय समय सीमा में सेवाओं की स्वीकृति देने हेतु, झारखण्ड सरकार द्वारा अनेक सकारात्मक पहलें की गयी हैं।

2. Ease of Doing Business के DIPP के सुझाव संख्या 237 के तहत यह अनुशंसा की गई है कि भवन प्लान की स्वीकृति एवं Occupancy Certificate का निष्पादन Digitally Signed दस्तावेज के रूप में केवल Municipal Commissioner/ Executive Officer/ Special Officer के द्वारा ही किया जाना है।

3. अतएव यह अधिसूचित किया जाता है कि झारखण्ड भवन उपविधि, 2016 के अंतर्गत भवन प्लान एवं Occupancy Certificate का निष्पादन Digital Signature के माध्यम से Municipal Commissioner/ Executive Officer/ Special Officer के द्वारा किया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

23.10.17

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/BPAMS/DSC/153/2017.....6626 राँची, दिनांक– 23/10/17

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।

2. प्रकाशनोपरान्त इसकी 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

23.10.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/BPAMS/DSC/153/2017.....6626 राँची, दिनांक– 23/10/17

प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

23.10.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/BPAMS/DSC/153/2017.....6626 राँची, दिनांक– 23/10/17

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/अपर सचिव, सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/प्रबंध निदेशक, जुडको लि०, राँची/नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, सभी शहरी स्थानीय निकाय झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.10.17

सरकार के प्रधान सचिव।